टीजी – फेम श्रृंखला
(लक्ष्य समूह – वित्तीय जागरूकता संदेश)

किसानों के लिए वित्तीय साक्षरता

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

Office of Reserve Bank Integrated Ombudsman

संदेश १:

किसान क्रेडिट कार्ड योजना – मुख्य रूप से फसल ऋण आवश्यकताओं के लिए और आंशिक रूप से उपभोग प्रयोजनों के लिए

संदेश २:

फसल ऋणों को त्वरित रूप से चुकाने के कई फायदे हैं

संदेश ३:

कृषि उत्पाद की मजबूरन बिक्री से बचें – गोदाम रसीदों के बदले मिलने वाले ऋण का उपयोग करें

संदेश ४:

फसल बीमा – प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

संदेश ५:

प्राकृतिक आपदाओं के कारण यदि आपकी फसल खराब हो गई है तो भी हिम्मत नहीं हारें – अपने बैंक को फसल से संबंधित नुकसान के बारे में सूचित करें तथा बैंकों से सहायता मांगे

किसान क्रेडिट कार्ड योजना – मुख्य रूप से फसल ऋण आवश्यकताओं के लिए और आंशिक रूप से उपभोग प्रयोजनों के लिए

कृषि उत्पाद की मजबूरन बिक्री से बचें – गोदाम रसीदों# के बदले मिलने वाले फसलोत्तर ऋण का उपयोग करें

फसल ऋणों को त्वरित रूप से चुकाने के कई फायदे हैं – ब्याज सबवेंशन योजना*

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यदि आपकी फसल खराब हो गई है तो भी हिम्मत नहीं हारें – अपने बैंक को फसल के नुकसान की मात्रा के बारे में सूचित करें तथा बैंकों से पुनर्रचना के रूप में सहायता मांगे

अपनी फसल का बीमा करवायें और खुद को सुरक्षित करें – प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के माध्यम से फसल बीमा

* भारत सरकार द्वारा समय–समय पर की गई घोषणा के अनुसार
# केवल लघु और सीमांत किसानों के लिए

संदेश 1: किसान क्रेडिट कार्ड योजना - मुख्य रूप से फसल ऋण आवश्यकताओं के लिए और आंशिक रूप से उपभोग प्रयोजनों के लिए

केसीसी योजना का उद्देश्य किसानों को उनके आकस्मिक खर्चों के अलावा उत्पादन ऋण आवश्यकताओं (खेती के खर्चों) को पूरा करने के लिए समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान करना है तथा जब भी आवश्यकता हो संबद्ध गतिविधियों से जुड़े खर्च हेतु सरल प्रक्रिया के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना है।

1

फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

6

कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे कि पंप सेट, स्प्रेयर, डेयरी पशु आदि के लिए निवेश ऋण आवश्यकताओं के लिए

2

फसल कटने के बाद के खर्चों के लिए

3

कृषि उत्पादों के विपणन के लिए ऋण

5

किसान परिवार की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं के लिए

4

खेती–बाड़ी से संबंधित संपत्तियों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे कि डेयरी पशु, अंतर्देशीय मत्स्य पालन आदि के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी

नोट : उपरोक्त घटकों में से 1 से 5 का कुल योग अल्पावधि ऋण सीमा वाले हिस्से होंगे और 6 के तहत घटकों का कुल योग दीर्घकालिक ऋण सीमा वाले हिस्से होंगे।

यद्यपि केसीसी के तहत अल्पावधि सीमा का 10% घरेलू उपभोग के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु उपभोग व्यय के लिए अधिक धनराशि का प्रयोग न करें

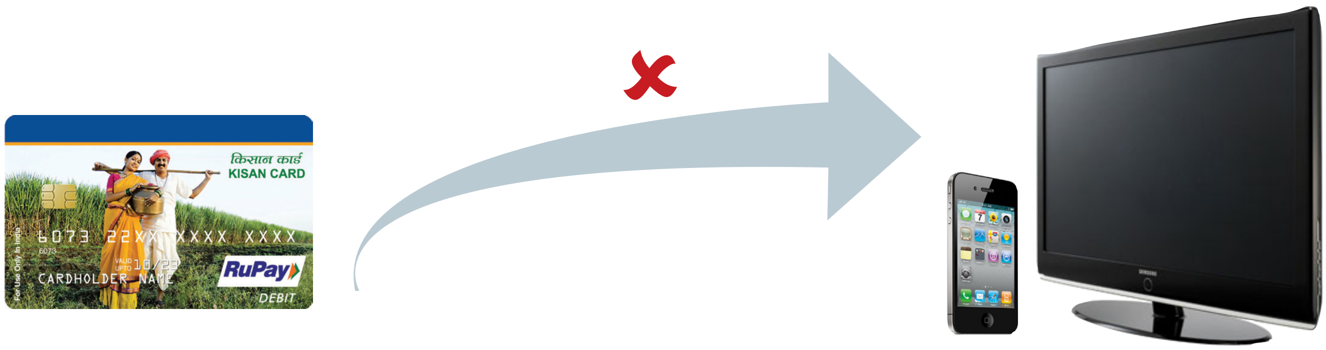

क्यों?

केसीसी का उद्देश्य आपकी फसल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है, यदि केसीसी फंड से घरेलू व्ययों पर अधिक मात्रा में खर्च किया गया तो इससे आय सृजित करने की आपकी क्षमता पर असर पड़ेगा। आपकी कृषि गतिविधियों से प्राप्त आय आपको केसीसी के तहत बकाया ऋणों को चुकाने में मदद करती है। जब आप अपनी निधियों का इस्तेमाल फसल गतिविधियों से इतर करेंगे, तो आप अपने ऋण को चुकाने की स्थिति में नहीं होंगे।

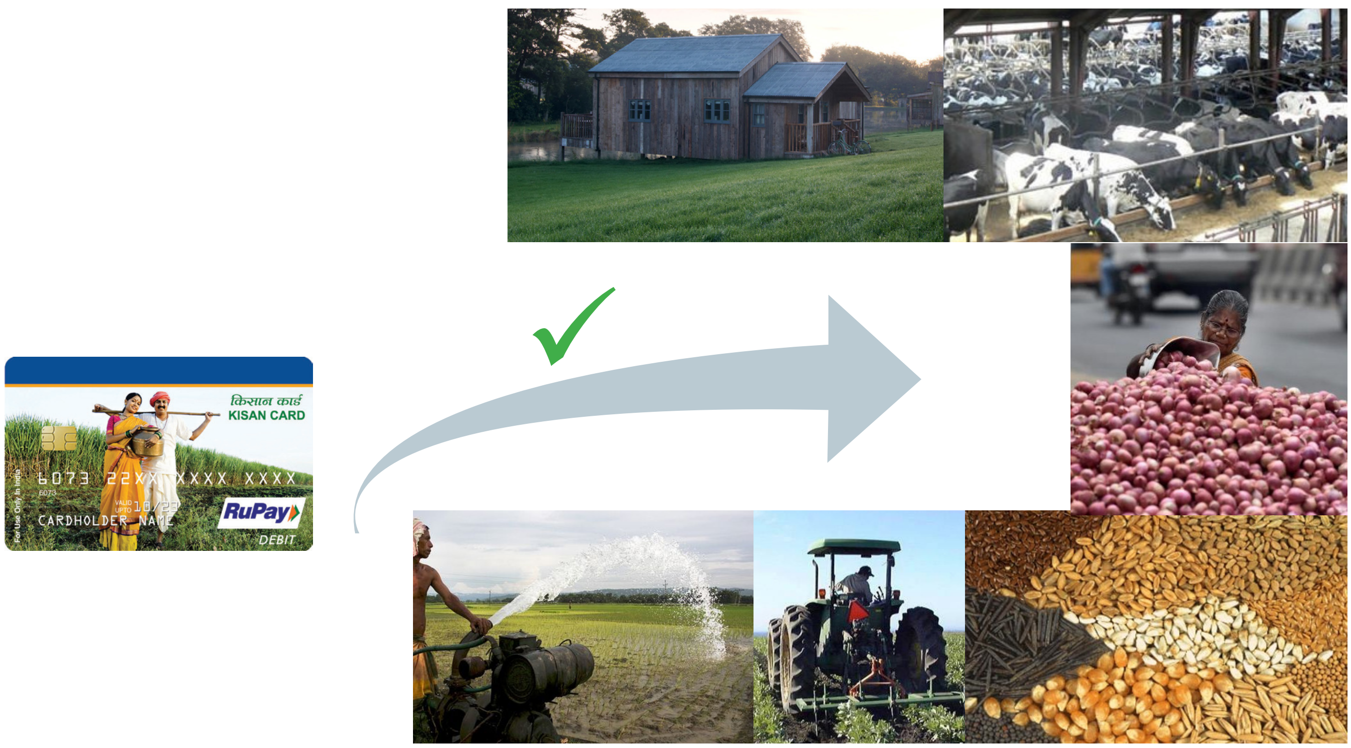

केसीसी की विशेषताएं:

1 केसीसी उधारकर्ताओं को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे वे केसीसी खाते से एटीएम के माध्यम से पैसे निकालने एवं पीओएस टर्मिनलों के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम होंगे।

2 केसीसी परिक्रामी खाते की प्रकृति का होगा। यदि खाते में क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसपर बचत बैंक की दर से ब्याज मिलेगा।

रु.1 लाख तक की ऋण सीमा के लिए संपार्श्विक जमानत में छूट दी गई है

संदेश 2: फसल ऋणों को त्वरित रूप से चुकाने के कई फायदे हैं

बैंक से उधार लेने पर

वर्ष 2017–18 के दौरान रु.3 लाख तक की अल्पावधि फसल ऋण के लिए 4% ब्याज दर (भारत सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित ब्याज सबवेंशन योजनाओं के अनुसार)*

अपंजीकृत संस्थाओं / साहूकारों से उधार लेने पर

उच्च ब्याज दर, संपार्श्विक की आवश्यकता या तो हो सकती है या नहीं भी

समय पर ऋण और ब्याज चुकाने का लाभ

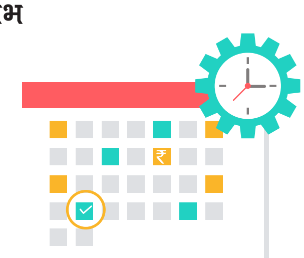

→ क्रेडिट स्कोर में सुधार
→ अगली बार उच्चतर ऋण राशि
→ कम ब्याज लागत

* 4% की दर हेतु योग्य होने के लिए, किसान को बैंक द्वारा निर्धारित नियत तारीख के भीतर ऋण चुकाना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में ऋण चुकाने में एक वर्ष से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए

संदेश ३: कृषि उत्पाद की मजबूरन बिक्री से बचें - गोदाम रसीदों के बदले मिलने वाले ऋण का उपयोग करें

भले ही आपकी फसल अच्छी हुई है तो भी आपका आधा काम ही पूरा हुआ है, क्योंकि आपको अपने उत्पाद को अच्छी कीमतों पर बेचना चाहिए।

कम कीमतों पर मत बेचें

माल-गोदामों का उपयोग करें

यदि आपको लगता है कि आपको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो गोदाम रसीदों के बदले माल–गोदामों में अपने उत्पाद को भंडारित करें और अपनी तत्काल नकदी जरूरतों के लिए बैंक से वित्तपोषण प्राप्त करें – ब्याज सबवेंशन का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड धारक उन लघु और सीमांत किसानों को उपलब्ध होगा, जो परक्राम्य गोदाम रसीद के बदले अपने उत्पाद को माल–गोदामों में रखते हैं, फसल कटने के बाद भी 6 महीने की अवधि हेतु 7%* की दर पर उपलब्ध होगा।

* भारत सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित नवीनतम सबवेंशन योजना के अनुसार

\# डब्ल्यूडीआरए (भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण) से मान्यता प्राप्त गोदामों द्वारा जारी

संदेश ४: फसल बीमा - प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

व्यापक बीमा कवर

पीएमएफबीवाई, फसलों के नुकसान के बदले व्यापक बीमा कवर प्रदान करता है जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है और उन्हें अभिनव प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रीमियम की कम दरें

पीएमएफबीवाई, अत्यंत कम दर की प्रीमियम जो कि रबी के लिए बीमा राशि का अधिकतम 1.5% और खाद्य फसलों, दलहन और तिलहन हेतु खरीफ के लिए बीमा राशि का 2% तक तथा वार्षिक बागवानी / वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा राशि का 5% तक के प्रीमियम पर किसानों के लिए उपलब्ध है। यह योजना विशिष्ट मामलों में फसलोत्तर जोखिम सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करता है।

प्रीमियम अंतर

किसानों द्वारा देय बीमा शुल्क की दर और प्रीमियम के बीच के अंतर को केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से बांटा जाता है।

विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से उपज नुकसान के लिए कवर

प्राकृतिक अग्नि और बिजली (ii) तूफान, ओला–वृष्टि, चक्रवात, आँधी, टेम्पेस्ट, झंझावात, बवंडर आदि (iii) बाढ़, सैलाब और भूस्खलन (iv) सूखा, सूखे की अवधि (V) कीट/रोगों आदि, की वजह से पैदावार के नुकसान, फसलोत्तर नुकसान तथा पहचान किए गए स्थानीय जोखिमों की घटना अर्थात ओला–वृष्टि, भूस्खलन एवं अधिसूचित क्षेत्र में अलग – अलग खेतों को प्रभावित करने वाले सैलाब के कारण होने वाले नुकसान / क्षति, इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं।

क्षतिपूर्ति के ३ स्तर

क्षेत्रों में फसल जोखिम से संबंधित सभी फसलों के लिए क्षतिपूर्ति तीन स्तर, जैसे कि 70%, 80% और 90%, पर उपलब्ध होंगे।

ऋणकर्ता किसानों के लिए अनिवार्य

अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण/केसीसी खाता प्राप्त करने वाले ऋणकर्ता किसान के लिए यह योजना अनिवार्य है। हालांकि, यह अन्य/गैर–ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, जिनके पास बीमित फसल(लों) में बीमा योग्य हित है।

क्षतिपूर्ति = कानूनी दायित्व,
हानि या वित्तीय बोझ से सुरक्षा

संदेश ५: प्राकृतिक आपदाओं के कारण यदि आपकी फसल खराब हो गई है तो भी हिम्मत नहीं हारें - अपने बैंक को फसल से संबंधित नुकसान के बारे में सूचित करें तथा बैंकों से सहायता मांगे

यदि केंद्र / राज्य सरकार ने आपके क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओला–वृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट आक्रमण और शीतलहर / ठंढ से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है, तथा यदि फसल की हानि का आकलन 33% या उससे अधिक है, तो यह आवश्यक है कि आप अपने उस बैंक शाखा से संपर्क करें जिसने आपको ऋण प्रदान किया है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति से आपकी चुकौती क्षमता कमजोर हो सकती है।

बैंक आपके लिए क्या कर सकता है?

अल्पावधि ऋण (फसल ऋण)

यदि नुकसान 33% से 50% के बीच है तो चुकौती हेतु अधिकतम अवधि 02 वर्ष (1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित) तक तथा यदि फसल का नुकसान 50% या उससे अधिक है तो चुकौती हेतु पुनर्रचना की अवधि को अधिकतम 05 वर्ष (1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित) तक बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।

अपने अल्पावधि ऋण के मूलधन और ब्याज को मीयादी ऋण में परिवर्तित करें।

पुनर्रचना के सभी मामलों में, कम से कम एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक ऐसे पुनर्रचित ऋण के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक जमानत पर जोर नहीं देंगे।

कृषि ऋण – दीर्घावधि (निवेश) ऋण – आपकी चुकौती क्षमता तथा प्राकृतिक आपदा की प्रकृति और सीमा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा मीयादी ऋण किस्तों को पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

जब आप प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपनी फसलों को खो देते हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप बैंक शाखा को इसके बारे में सूचित करें और बैंक से सहायता प्राप्त करें।

लक्ष्य विशिष्ट वित्तीय साक्षरता सामग्री

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ से संबंधी समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह था कि वित्तीय शिक्षा के लिए ''सभी के लिए एक ही शिक्षा'' वाला दृष्टिकोण शायद उचित न हो क्योंकि विभिन्न लक्ष्य समूहों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, सामग्री को विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग ने पांच अलग–अलग समूहों अर्थात किसान, लघु उद्यमियों, स्कूली बच्चों, एसएचजी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कस्टमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री का निर्माण किया है। यह पुस्तक कस्टमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री पर पांच पुस्तकों की श्रृंखला में से एक है।

अस्वीकरण

यह पुस्तक, पढ़ने और शिक्षण सामग्री के रूप में प्रस्तुत की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य पाठक को वित्तीय साक्षर बनाना है। इसका उद्देश्य किसी भी विशेष वित्तीय उत्पाद/दों या सेवा/ओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए पाठक को प्रभावित करना नहीं है।

प्रतिलिप्याधिकार

प्रथम संस्करण – अप्रैल 2018
सामग्री को पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति है, बशर्ते स्रोत की जानकारी दी गई हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई,
द्वारा लिखित और प्रकाशित

अभिस्वीकृति

डिजाइनः कौशिक रामचंद्रन

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक
10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400001, भारत